दिनांक 30.01.2017 को पटना स्थित बहुमंजिली होटलों के प्रबंधन के साथ अग्नि सुरक्षा के बिन्दू पर महानिदेशक–सह–महसमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में हुए बैठक का वृतः–

बैठक में कई प्रमुख होटलों के प्रतिनिधि नहीं आये। विशेषकर जो बहुमजली होटलें है। बैठक में होटलों की सुरक्षा पर चर्चा हुई और निम्न निर्णय लिए गएः–

01. उपस्थित प्रतिनिधियों से यह जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि उन्हें अग्नि सुरक्षा के प्रबंधों की जानकारी है अथवा नहीं ? लगभग सभी व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें नहीं बताया गया कि अग्नि सुरक्षा का क्या प्रबंध होना चाहिए।

इस जानकारी के अभाव के आलोक में यह निर्णय किया गया कि होटलों का सुरक्षा ऑडिट होगा। इस संदर्भ में सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि अग्नि सुरक्षा ऑडिट या उसके आगे की कार्रवाई तभी सार्थक होगा, जब होटल के प्रबंधन भी स्वयं प्रबंधों को समझे और उसके अनुसार अपना ऑडिट स्वयं करें। जब वे स्वयं प्रावधानों को जानेगें तभी अग्निशाम सेवा के कर्मियों के द्वारा किए जाने वाले ऑडिट सार्थक बन पायेगा अन्यथा अग्निशाम सेवा के द्वारा किया गया ऑडिट कागजों में सिमट कर रह जायेगा। सभी को जानकारी दी गई कि होटलों जैसे भवनों के प्रावधानों का विवरण बिहार बिल्डिंग बॉयलौज में दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया कि होटल भवनों के नक्शा पास कराते समय अग्नि व्यवस्थाएँ दर्शायी जाती है, उन्हीं को maintain करना है। इस संबंध में अग्निशाम सेवा अग्निशामालय अपने–अपने क्षेत्रों के सभी होटलों को इसकी जानकारी देगें। सभी अग्निशामालय होटलों, जिनमें अग्नि सुरक्षा का प्रावधान करना है का पुरा विवरण उपलब्ध रखना है। अग्निशामालय होटल प्रबंधकों के साथ अपने–अपने क्षेत्र में कार्यशाला कर उन्हें अवगत करायें। लीपफलेट, पम्पलेट आदि के माध्यम से भी उन्हें अवगत करायें।

(कार्रवाई–सभी होटल प्रबंधन एवं सभी प्रभारी अग्निशामालय)

02. किसी होटल में अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। होटल मालिकों/प्रबंधकों को ध्यान देकर सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अपने–अपने प्रतिष्ठानों के लिए अग्निशमन अधिकारी का प्रबंध करना होगा। ऑडिट के दौरान अन्य अग्नि सुरक्षा सबंधी सभी प्रबंधों, यथा – फायर एक्सटींग्यूसर प्रत्येक तल पर है (उसका प्रकार एवं क्षमता), होज रील, डाउन कमर सिस्टम, वेट राईजर सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रींकलर सिस्टम, अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित), ओभर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित), यार्ड हाईड्रेन्ट, भवनों में सीढ़ी की व्यवस्था, भवन में लिफ्ट की संख्या, अलटरनेट विद्युत की व्यवस्था आदि–आदि (जो भी लागू हो) की जॉच हो, कि क्या ये उपकरण

नियमानुसार न्यूनतम फायर सेफ्टी आवश्यकताओं को पूरा करते है कि नहीं एवं लगाए गए उपकरण सही रूप में कार्य कर रही है, अथवा नहीं ?

(कार्रवाई–सभी होटल प्रबंधन एवं सभी प्रभारी अग्निशामालय)

03. होटलों के सुरक्षा ऑडिट के संदर्भ में यह निर्णय हुआ कि पटना नगर निगम, अग्निशाम सेवा, भवन निर्माण विभाग (कार्य) एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से ऑडिट होगा। इस टीम का नेतृत्व पटना जिला के जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि करेंगें। नगर निगम के पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे अगले 6(छः) माह के लिए ऑडिट की तिथियॉ निर्धारित कर सभी को सूचित करेंगें।

(कार्रवाई राज्य अग्निशाम पदाधिकारी पटना नगर निगम, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना)

04. होटल प्रतिनिधियों से यह पूछे जाने पर, कि क्या उनके भवन में **आपातकालीन इवेक्यूएशन प्लान** बनाई गई है एवं क्या **इमरजेन्सी इवेक्यूएशन ड्रिल** की जाती है, लगभग सभी के द्वारा नकारात्मक प्रत्युत्तर किया गया। स्पष्टतः होटल भवनों में न तो **आपातकालीन इवेक्यूएशन प्लान** बनाया गया है न ही **इमरजेन्सी इवेक्यूएशन ड्रिल** किया जाता है।

निर्णय हुआ कि होटल प्रबंधन अपने होटल भवनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर **आपातकालीन इवेक्यूएशन प्लान** बनाए। यह भी निदेश दिया गया कि बिहार फायर ऐक्ट,2014 के प्रावधानों के आलोक में अग्निशमन सेवा द्वारा किए जाने वाले अग्नि सुरक्षा के ऑडिट के समय **आपातकालीन इवेक्यूएशन प्लान** की संपरीक्षा आवश्यक रूप से की जाय। साथ ही यह भी देखा जाय कि प्रबंधन द्वारा **इमरजेन्सी इवेक्यूएशन ड्रिल** किया जा रहा है कि नहीं ?

(कार्रवाई सभी होटल प्रबंधन)

05 यह पूछे जाने पर कि क्या होटलों के संचालन की लाईसेंसिंग वार्षिक होती है, बताया गया कि होटल प्रबंधन को एक ही बार लाईसेंस लेना होता है, बार–बार लाईसेंस के नवीनकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

बैठक के दौरान ही सुझाव प्राप्त हुआ कि होटल के संचालन हेतु **ट्रेड लाईसेंस** की व्यवस्था कराना उपयुक्त होगा क्योंकि इस लाईसेंसिग में प्रतिवर्ष नवीनीकरण प्रावधान रहने के कारण अग्नि सुरक्षा प्रबंधों को लागू करवाना आसान हो सकता है।

निर्णय हुआ कि होटलों के लिए ट्रेड लाईसेंसिग की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाय एवं लाईसेंस नवीनीकरण के समय अग्नि सुरक्षा प्रबंधो को दृष्टिपथ रखते हुए ही अनुशंसा की जाय।

(कार्रवाई प्रशासक नगर निगम)

06. होटल के प्रतिनिधियों को यह सामान्य निदेश दिया गया कि वे अपने होटल भवनों में उचित स्थानों पर अग्नि सुरक्षा संबंधी सावधानिया मुद्रित कर लगवायें, निकास द्वार के दोनों ओर आपातकालीन सेवा का फोन नम्बर–101 का पोस्टर लगवायें, अग्नि सुरक्षा संबंधी अन्य साईनिज यथास्थान लगवायें।

(कार्रवाई–सभी होटल प्रबंधन)

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(पी0 एन0 राय)
महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें
बिहार,पटना ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा का कार्यालय,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाये, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....355..... पटना, दिनांक.....10/02/2017.

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक / प्रबंधक.....

02. उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना /उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना / राज्य अग्निशाम पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें
बिहार,पटना ।